

उत्तर प्रदेश शासन,
वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-1
संख्या-2/2018/आडिट-1-517/दस-2018-308(3)/15 टीसी-2
लखनऊ : दिनांक 25 मई, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

शासनादेश संख्या-1/2018/आडिट-1-404/दस-2018-308(3)/15 टीसी-2, दिनांक 23 अप्रैल, 2018 द्वारा 15 सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेबल-8 रू0 47,600 से 1,51,100/-) को जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के पद (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेबल-10 रू0 56,100 से 1,77,500/-) पर मौलिक रूप से पदोन्नति प्रदान करते हुये रिक्त विभिन्न जनपदों में तैनाती प्रदान की गयी है।

2- उक्त आदेश दिनांक 23 अप्रैल, 2018 द्वारा की गयी जिला लेखा परीक्षा अधिकारी की तैनाती को निम्नवत् संशोधित किया जाता है:-

क्र0	अधिकारी का नाम	शासनादेश दिनांक 23.04.2018 द्वारा की गयी तैनाती	संशोधित तैनाती
1.	श्री श्रीश चन्द्र मिश्र	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, बदायूं	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, आजमगढ़
2.	श्री सतीश चन्द्र श्रीवास्तव	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, अमेठी	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, लखनऊ (मुख्यालय)

3- शासनादेश संख्या-1/2018/आडिट-1-404/दस-2018-308(3)/15 टीसी-2, दिनांक 23 अप्रैल, 2018 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा शासनादेश की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

सरयू प्रसाद मिश्र
विशेष सचिव।

संख्या-2/2018/आडिट-1-517(1)/दस-2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0, लखनऊ।
- 3- निजी सचिव, मा0 वित्त मंत्री जी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 5- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें उ0प्र0, लखनऊ।
- 6- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश-211001 को सरकारी गजट के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

7- आगामी अंक में प्रकाशनार्थ हेतु।
गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

बराती लाल
उप सचिव।

<http://shasanadesh.up.nic.in>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।